उद्देश्य

कार्मिक विभाग ने कर्मचारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से सवानिवृति सम्बन्धी मार्गदर्शिका” के रूप में यह पुस्तिका तैयार करने का विनिश्चय किया जो सर्वसाधारण के लिए उपयोगी हो। इस पुस्तिका का उद्देश्य मुख्य रूप से सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को सामान्य नियमों की जानकारी देने के साथ–साथ समापक भुगतान से जुडे सभी संबंधित पक्षों द्वारा कालबद्ध तरीके से कार्य निष्पादन की जानकारी दिया जाना है, ताकि सेवा निवृति पर वगैर किसी बाधा के समापक भुगतान की सम्पूर्ण राशि कर्मचारी को मिल सके।

प्रस्तावना

भारतीय रेल एक विशाल संगठन है इसलिए रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिये अलग से नियम संकलित किये हैं। सरकारी सेवा में आते ही हमें यह जानकारी हो जाती है कि एक दिन हमें सेवामुक्त/रिटायर होना पडेगा। यह आयु सोमा साधारण तौर पर 60 वर्ष है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने निजी कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृति (वोलेन्ट्री रिटायरमेंट) के लिये आवेदन करते हैं। संगठन भी कुछ लोगों को अनिवार्य रूप से सेवामुक्त करता है या अनुशासन की कार्रवाई के बाद नौकरी से हटा देता है। दुर्भाग्य से ऐसे अवसर भी आते हैं जब किसी डाक्टरी कारणों से नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है। कुछ लोगों की सवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। इन सभी परिस्थितियों में प्रशासन सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध करता है। नियम के अनुसार जिस महीने में आपकी आयु 60 वर्ष पूरी हो रही हो उस महीने के अंतिम दिन दोपहर के 12.00 बजे के बाद आप सोवामुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपकी जन्मतिथि 20 जून है तो आप 30 जून को अपराह्न में रिटायर होंगे। यदि आपकी जन्मतिथि महीने की पहली तारीख है तो आप पिछले महीने के अंतिम दिन अपराह्न में सेवामुक्त होंगे इस पकार 01 जून जन्मतिथि हाने पर 31 मई को रिटायर होंगे।

1. **सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों के लिये आवश्यक निर्देश :–**

1.1 सेवानिवृति की तिथि से 06 माह पूर्व अपना सेवा अभिलेख एवं अवकाश खाता जहॉ अनुरक्षित हो वहॉ के प्रभारी से मिलकर देख लें, जैसे जिनका सेवा अभिलेख मंडल कार्यालय में अनुरक्षित है वे मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) कार्यालय में संबंधित संवर्ग के कार्यालय अधीक्षक से मिलकर देख सकते हैं और जिनका सेवा अभिलेख सहायक मंडल इंजीनियर के अधीन है वे संबंधित सेक्शन इंजोनियर से सम्पर्क कर देख सकते हैं। यदि कोई त्रुटि/कमी पायी जाती है तो अपने विभागीय अधिकारी अथवा मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/समस्तीपुर को लिखित प्रतिवेदन तुरन्त प्रस्तुत करें।

1.2 रेल आवास एवं रेल का सामान संबंधित पर्यवेक्षक को कम से कम सेवा निवृति की माह से एक माह पूर्व सौंप दें एवं तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।

1.2.1 विभागीय पर्यवेक्षक / अधिकारी सेवानिवृत होनेवाले कर्मचारी के पक्ष में समय से अर्थात सेवानिवृति के माह की 02 तारीख तक अदेयता जारी करना सुनिश्चित करें एवं आयकर दाता कर्मचारियों के पक्ष में आयकर की गणना भी भेजना सुनिश्चित करें।

1.2.2 क्षेत्रीय कार्मिक निरीक्षक इस संबंध में संबंधित पर्यवेक्षक/अधिकारी स आवश्यकतानुरूप संपर्क कर कार्य म शीघ्रता लाने का प्रयास करेंगे।

1.3 किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में कर्मचारी अपनी पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाता खुलवा लें, जहॉ से पेशन लेना चाहते हों। जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक इत्यादि।

1.4 कर्मचारी अपने पति/पत्नी के साथ संयुक्त चार पासपोर्ट फोटो 7cm x 5cm साईज में बनवा लें ।

1.4.1 यदि पत्नी जीवित नहीं है तो स्वयं का चार पासपोर्ट फोटो 7 सेमी/5 सेमी साइज में बनवा लें।

1.5 परिचय पत्र के लिए स्वयं का 01 स्टाम्प साईज फाटो बनवा लें ।

1.6 एक रूपया वाला 10 रेवेन्यू टिकट डाकघर से खरीद लें ।

1.6.1 कर्मचारी व कल्याण निरीक्षक बैंक खाता का छायाप्रति कर्मचारी से अवश्य लें तथा यह सुनिश्चित करें कि आईएफसी कोड अंकित है कि नहीं यदि अंकित नहीं है तो संबंधित बैंक के कर्मचारी द्वारा उपलब्ध करावें ।

1.7 उपरोक्त के साथ क्षेत्रीय हित निरीक्षक से सम्पर्क कर पेंशन फार्म तीन माह पूर्व भरवा लें एवं उन्हीं के माध्यम से उपरोक्त वर्णित सभी कागजात के साथ समापक अनुभाग में जमा करा दें । विदित हो कि पेंशन फार्म की पुस्तिका कार्मिक विभाग के समापक अनुभाग में उपलब्ध है । संबंधित कार्मिक निरीक्षक को निर्देश है कि पेंशन फार्म पुस्तिका के सभी फॉरमेट सेवानिवृत्त होनवाले कर्मचारी को दिखा दें एवं इसे भरने में कर्मचारी को पूर्ण सहयोग प्रदान करें ।

नोट :–सभी कार्मिक निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवानिवृति से छः माह पूर्व कर्मचारी/विधवा/आश्रित को वांछित कागजातों एवं अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र को समय के अन्दर सुपुर्द करने हेतु उनसे संपर्क करेंगे ।

कार्यकलाप का निर्धारण

क0 सं0	निर्धारित अवधि (सेवा निवृति की तिथि से)	कार्य कलाप	जिनके द्वारा किया जाना है।	किसके सहयोग से किया जाना है ।
01	06 माह पूर्व	सेवा पुस्तिका (Service Record) एवं अवकाश खात (P-Case)का निरीक्षण	सेवानिवृत होनेवाले कर्मचारी द्वारा	संबंधित संवर्ग कार्यालय अधीक्षक जिनके पास कर्मचारी की सेवा पुस्तिका (SR) एवं अवकाश खाता(P-Case) रखी जाती है ।
02	तीन माह पूर्व	पेंशन फार्म/बुकलेट तैयार किया जाना	सम्बन्धित कार्मिक निरीक्षक के सहयोग से कर्मचारी द्वारा	संबंधित कार्मिक निरीक्षक समापक अनुभाग (Settelement Section) में जमा करें ।
03	तीन माह पूर्व	बैंक में खाता खुलवाना एवं संयुक्त फोटो (पति–पत्नी) बनवाना ।	सेवानिवृत होनेवाले कर्मचारी द्वारा	किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में, जैसे–भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक इत्यादि में खाता खुलवाना
04	सेवानिवति (वाणिज्य/परिचालन जो रेल राजस्व का कार्य करते हैं विभाग के कर्मचारी हेतु) माह से कम से कम 03 माह पूर्व	क्मइपज से संबंधित अदेयता करवाना	सेवानिवृत कर्मचारी व नियंत्रक अधिकारी द्वारा	सम्बंधित पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक अधिकारी
05	तीन माह पूर्व	RELHS * का लाभ प्राप्ति क लिए	सेवानिवृत कर्मचारी द्वारा	सम्बंधित कार्मिक निरीक्षक सुनिश्चित करेंगे
*यह स्कीम कर्मचारी हित में है, परन्तु वैकल्पिक है । इस स्कीम के तहत कर्मचारी को एक माह का वेतन रेल खाते में जमा कराना होगा या अंतिम माह के वेतन को रेल खाते में छोडना होगा । इसके पश्चात् उनके व उनके आश्रितों को सेवारत रेल कर्मचारी के समान रेल चिकित्सा सुविधा सेवानिवृति के बाद भी मिलती रहेगी ।				

06	सेवानिवृति माह से कम से कम 01 माह पूर्व	रेल आवास एवं रेल सामानों की वापसी	सेवानिवृत होनेवाले कर्मचारी द्वारा	सम्बंधित पर्यवेक्षक, कार्य निरीक्षक एवं विद्युत अनुभाग अभियंता से मिलकर रेल आवास की सुपर्दगी करवायेंगे ।
07	सेवानिवृति माह के 10 तारीख तक	बकाया नहीं का प्रमाण–पत्र	बिल लिपिक	संबंधित कार्मिक निरीक्षक इस कार्य में मदद करेंगे ।
08	सेवानिवृति माह के तीन	पीआई–16	सेवानिवृत होनेवाले	10 अदद पीआई–16

	माह पूर्व	जमा करना । पीआई–16 फार्म रेल कर्मचारी के द्वारा रेल को समापक भुगतान के प्राधिकार का कार्य करता है, जिसमें रेल कर्मचारी द्वारा भुगतान के लिए बैंक खाता का विवरण दिया जाता है ।	कर्मचारी द्वारा	रू0 1 का राजस्व टिकट लगा हुआ सही तरीके से भरकर सबंधित कार्मिक निरीक्षक इसे प्राप्त करेंगे ।

2. पेंशन योजना के अन्तर्गत सामान्य सेवानिवृति में देय लाभ

2.1 निर्वाह निधि (अनिवार्य)/पी.एफ.– कर्मचारी द्वारा अपने निर्वाह निधि में जमा अंशदान के कुल रकम पर समय–समय पर देय ब्याज की रकम जोड़कर भुगतान किया जाता है ।

2.2 ऐच्छिक निर्वाह निधि/वी.पी.एफ. – उपरोक्त 2.1 की भांति भुगतान किया जाता है ।

3. मासिक पेंशन

3.1 पेंशन क्या हैः–

पेंशन एक सेवानिवृति लाभ है जिसका रेल कर्मचारी को सेवा से निवृति होने पर मासिक भुगतान किया जाता है । ऐसे सभी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति तिथि 01.01.2004 या उनसके पश्चात् है और नयी पेंशन योजना के अन्तर्गत आते हैं, को पेंशन का लाभ देय नहीं है ।

3.2 पेंशन अंर्जित करने की शर्तें

रेल कर्मचारी किसी स्थायी अथवा अस्थायी पद पर मूल रूप से कम से कम 10 वर्षों या उससे अधिक की अर्हक सेवा में रहा हो।

3.3 पेंशन–राशि निर्धारण की तिथि

3.3.1 10 वर्षों की अर्हक सेवा पर अंतिम माह के वेतन का 50 प्रतिशत न्यूनतम रू. 3,500 प्रतिमाह एक उस पर देय समय–समय पर महंगाई राहत ।

उदाहरण के तौर पर यदि कोई कर्मचारी वेतन बैंड 9300–34800 में ग्रेड पे0 4200 के मूल वेतन 10,000 पर सेवा निवृत होता है तो उन्हें प्रति माह देय पेंशन की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :–

अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत अर्थात् अंतिम वेतन – 10,000 ग्रेड पे + 4200 = 14,200 का 50 प्रतिशत अर्थात् 7,100 प्रतिमाह तथा उस पर समय–समय पर देय महंगाई राहत के साथ भुगतान किया गया जायेगा ।

3.3.2 इस राशि का निर्धारण अंतिम दस माह के वेतन औसत या अंतिम माह के वेतन, जो लाभदायक है के आधार पर किया जाता है ।

4. पेंशन का संराशीकरण (कम्यूटेशन)

4.1 पेंशन का कम्यूटेशन (पेंशन की बिक्री) :– स्वीकृत पेंशन का 40 प्रतिशत तक राशि कर्मचारी की उम्र के अनुसार गणना की जाती है । जैसे 60 वर्ष पर सेवानिवृत होनेवाले कर्मचारी को अगले वर्ष यानि 61 वर्ष पर देय एक रूपया पर रू. 98.32 की दर से गणना कर, भुगतान किये जाने का प्रावधान है ।

4.2 अधिकतम 40 प्रतिशत पेंशन का अर्थात् उपर दर्शाये गए उदाहरण में रू. 7,100 स्वीकृत पेंशन का 40 प्रतिशत रू. 2,840 सेवा निवृति, आयु के अगली जन्म तिथि अर्थात् 61 वर्ष पर दिये गये तालिका के अनुसार एक रूपया का 98.32 की दर से 2,840 x 98-32 = रू. 2,79,229 भुगतान किया जायेगा, मूल पेंशन रू. 7,100 में से रू. 2,840 घटा कर शेष रू. 4,260 प्रति माह पेंशन के रूप में भुगतान होगा किन्तु महंगाई राहत मूल पेंशन 7,100 पर ही देय होगा ।

नोटः बिकी हुई पेंशन की राशि सेवानिवृति की तिथि से 15 वर्षों के बाद पेंशन वितरक बैंक द्वारा स्वतः मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है ।

4.3 उम्र के अनुसार पेंशन की राशि में निम्न प्रकार बढोत्तरी किये जाने का प्रावधान है ।

उम्र	**बढाये जानेवाले पेंशन का प्रतिशत**
80 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	20%
85 ʺ ʺ 90 ʺ	30%
90 ʺ ʺ 95 ʺ	40%
95 ʺ ʺ 100 ʺ	50%
100 ʺ या अधिक--------	100%

5. मृत्यु/सेवानिवृति उपादान (डी0सी0आर0जी0)

किसी रेल सेवक को सेवानिवृति हो जाने पर अथवा मृत्यु हो जाने की दशा में परिवार को भुगतान की जानेवाली एक मुश्त राशि है, जो संबंधित कर्मचारी की संतोषजनक सेवा पर देय होता है ।

गणना की विधि

प्रत्येक वर्ष की अर्हक सेवा पर 15 दिनों के समतुल्य वेतन जिसमें मूल वेतन+ग्रेड पे+महंगाई भत्ते को जोड़कर गणना की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख है । जैसेः–

मूल वेतन – 10,000 + ग्रेड पे 4,200 (वेतन बैण्ड 9,300–34,800) = 14,200 रूपये

महंगाई भत्ता 14,200 का 27 प्रतिशत = 3,834 रूपये

कुल राशि (14,200+3,834) x 16.5 = 2,97,561 रूपये (33 वर्ष की अर्हक सेवा पर)

यदि कर्मचारी की 10 वर्षों से कम सेवा है तो उन्हें टर्मिनल ग्रेच्युटी एवं पेंशन के बदले में सर्विस ग्रेच्युटी भुगतान किये जाने का प्रावधान है, जिसकी गणना प्रत्येक अर्हक वर्षों पर 15 दिनों के समतुल्य वेतन का भुगतान किया जाता है ।

ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रूपये है ।

6. सामूहिक जीवन बीमाः–

सामूहिक जीवन बीमा के मद में जमा राशि की वापसी रेल परिषद द्वारा समय–समय पर जारी चार्ट के अनसार की जाती है ।

7. **छुट्टी के वेतन का नकदीकरण**

अवकाश खाते में देय औसत वेतन अवकाश/अर्द्ध औसत वेतन अवकाश का नकदीकरण का भुगतान किया जाता है, जो अधिकतम 300 दिनों का होता है ।

क. (मूल वेतन+ग्रेड पे) x खाते में देय अवकाश दिनों की संख्या/30
= कुल वेतन का नकदीगरण

ख. (मूल वेतन + ग्रेड पे) पर देय महंगाई भत्ते का प्रतिशत x दिनों की संख्या/30
= कुल महंगाई भत्ते का नकदीगरण

इस प्रकार क+ख दोनों की राशि जोड़कर अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया जाता है । जैसे कि:–

अवकाश नकदीकरण यदि खाते में अवकाश 300 दिन देय हो तो :–

वेतन – (10,000 + 4,200) x 300 दिन
30 = 1,42,000

महांगाई = (10,000 + 4,200) 27% x 300 दिन
30 = 1,80,340 होगा ।

यदि अवकाश खाता में 300 दिनों से कम अवकाश शेष रहता है तो देय अर्द्ध वेतन अवकाश को जोड़कर कुल 300 दिनों के अवकाश का नगदीकरण किया जाता है लेकिन जोड़े जानेवाले अर्द्ध वेतन अवकाश का भुगतान अर्द्ध वेतन अवकाश की दर से ही किया जाता है ।

8. **समेकित स्थानान्तरण भत्ता (Composite Transfer Grant):-**

नियुक्ति स्थल से स्थाई निवास की दूरी 20 कि0मी0 से अधिक होने पर अंतिम माह के वेतन के बराबर समेकित भत्ता का का भुगतान किया जाता है । यदि निवास की दूरी 20 किमी से कम हो तो अंतिम वेतन का 1/3 भाग भुगतान किया जाता है । कर्मचारी घरेलू सामान को सेवानिवृति/मृत्यु केस में जो भी आवेदन देकर एक माह का वेतन समेकित स्थानान्तरण भत्ता के लिए प्राप्त कर सकते हैं ।

9. **उदारीकृत स्वास्थ्य योजनाएँ (RELHS):-**

20 वर्षों की अर्हक सेवा पर इस योजना की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है । इसके लिए अंतिम माह का वेतन राशि जमा करना होता है, इसके लिए कर्मचारी को पास नियमों के अधीन आनेवाले सभी आश्रितों का अलग–अलग सत्यापित फोटो समापक अनुभाग में जमा करना होता है । मृत कर्मचारी की विधवा को 20 वर्ष अर्हक सेवा की बाध्यता नहीं है । रेलवे अस्पताल लोक डिस्पेंसरी, हेल्थ यूनिट इत्यादि जहाँ उपलब्ध है उससे कम–से–कम 2.5 किमी से अधिक दूरी पर निवास स्थान हो तो अब **RELHS** योजना के सदस्य बनकर लाभ उठा सकते हैं।

10. मानार्थ पासः–

स्मूह 'ग' के कर्मचारियों को 20 से 25 वर्षों की अर्हक सेवा पर एक सेट पास, 25 वर्षों से अधिक की अर्हक सेवा पर दो सेट पास तथा समूह 'घ' के कर्मचारियों को बीस वर्ष या अधिक की सेवा पर एक सेट पापस दिये जाने का प्रावधान है ।

11. पेंशनर परिचय कार्ड

12. सेवा प्रमाण पत्र

13. सेवा निवृति पर गोल्ड–प्लेटेड चॉदी का मेडल

14. पेंशन योजना के अन्तर्गत मृत्यु के मामले में देय लाभ

14.1 निर्वाह निधि(अनिवार्य)/पी.एफ., ऐच्छिक निर्वाह निधि/वी.पी.एफ तथ डी.एल.आई

(क) निर्वाह निधि (PF) एवं स्वैच्छिक निर्वाह निधि (VPF) में जमा राशि की ब्याज सहित वापसी।

(ख) निर्वाह निधि से संबंधित बीमा(डी.एल.आई)

दिनांक 01.01.1989 से निर्वाह निधि से सम्बद्ध एक बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से शुरू की गई है । कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर निर्वाह निधि में पिछले तीन वर्षों में जमा रकम के आधार पर उसकी गणना की जाती है । जिसकी अधिकतम सीमा रू. 60,000 है।

14.2 पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशन एक प्रकार का सामाजिक सुरक्षा लाभ है जो किसी रेल सेवक के उत्तरजीवी विधवा/बच्चे को मासिक भुगतान किया जाता है चाहे उसकी मृत्यु सेवाकाल में हुई हो या सेवानिवृति के बाद ।

14.2.1 पारिवारिक पेंशन का निर्धारण

स्व. कर्मचारी के मूल वेतन का 30 प्रतिशत या न्यूनतम रू. 3,500 दोनों में जो अधिक हो ।

14.2.2 पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई राशि

यदि कर्मचारी 07 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी कर लेता है तो उसकी मृत्यु के बाद 10 वर्ष तक अथवा मृत कर्मचारी जीवित अवस्था में जब 70 वर्ष पूरा कर लेता, इसमें जो भी अवधि कम हो, तो कर्मचारी के परिवार को बढ़े दर पर पारिवारिक पेंशन दिया जाता है । परन्तु यह पेंशन कर्मचारी को मिलनेवाले पेंशन राशि के बराबर अथवा न्यूनतम रू. 3,500 से कम की राशि देय नहीं होगी । जैसे किः–

कर्मचारी की मृत्यु तिथि के अगले तिथि से 10 वर्षों तक मूल वेतन : रू. 10,000 + ग्रेड पे रू. 4,200 = कुल रू. 14,200 का 50 प्रतिशत = रू. 7,100 पेंशन का भुगतान किया जाएगा । तत्पश्चात् मूल वेतनः रू. 10,000 + ग्रेड पे रू. 4,200 = कुल रू. 14,200 का 30 प्रतिशत =रू. 4,260 पेंशन का भुगतान पुनर्विवाह या मृत्यु जो पहले हो, तक किया जायेगा ।

14.3. मृत्यु उपादान (डी.सी.आर.जी.)

मृत्यु के मामले में निम्नांकित दर से डी.सी.आर.जी. का भुगतान किया जाता है जो सेवा अवधि पर आधारित है ।

उदाहरणतः–

(क)	एक वर्ष या उससे कम की अर्हक सेवा पर–	परिलब्धि का दो गुणा जिसमें वेतन, ग्रेड पे, डी.ए. शामिल है, 10,000 + 10,200 = 14,200 का 27 प्रतिशत = 3,834 यदि परिलब्धि रू. 14,200 + 3,834 = रू. 18,034 है तो कुल देय राशि रू. 18,034 X 2 = 36,068 रूपये देय होगी ।
(ख)	एक वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष से कम की सेवा होने पर–	परिलब्धि का छः गुणा 14,200 + 3,834 = 18,034 X 6 = 1,08204 रू. देय होगी है ।
(ग)	5 वर्ष से अधिक एवं 20 वर्ष से कम की सेवा	परिलब्धि का बारह गुणा 14,200 + 3,834 = 18,034 18,034 X 6 = 2,16,408 रू. देय होगी।
(घ)	20 वर्ष एवं उससे अधिक की सेवा अवधि होने पर ।	प्रत्येक छः माह पर परिलब्धि का आधा, यदि कुल अर्हक सेवा 33 वर्ष या अधिक हो तो अधिकतम रूपये दस लाख का भुगतान किया जाता है । 14,200 + 3,834 = 18,034 X 33 = 5,95,122 रू. देय

14.4 सामूहिक बीमा योजना

कर्मचारी द्वारा उक्त योजना में जमा राशि को बीमा की निर्धारित राशि में जोड़कर भुगतान किया जाता है ।

14.5 अवकाश नगदीकरण

सेवानिवृति की तरह ही मृत्यु के मामले में भी अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया जाता है।

14.6 समेकित स्थानान्तरण भत्ता

सेवानिवृति की तरह ही मृत्यु के मामले में भी समेकित स्थानान्तरण भत्ता का भुगतान किया जाता है।

14.7 मृत कर्मचारी की विधवा के पास

12 मार्च 1987 को जो कर्मचारी रेल सेवा में थे या उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है तो उनकी विधवायें पोस्ट रिटायरमेंट पास पाने की हकदार होंगी । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विधवाएं प्रत्येक दूसरे वर्ष एक सेट पास पाने की पात्र होंगी ।

14.8 रनिंग कर्मचारियों के मामले में जो वेतन बैण्ड 9,300–34,800 में ग्रेड पे 4,200 के मूल वेतन 10,000 पर सेवा निवृत होतें हैं और उनकी अर्हक सेवा 33 वर्ष है तो गणना निम्न प्रकार होगी।

14.8.1 पेंशन–

मूल वेतन (वेतन + ग्रेड पे) 10,000 + 4,200 = 14,200 (अ)

रनिंग भत्ता 55 प्रतिशत की दर से 7,810 (ब)

अ + ब = 14,200 + 7,810 = 22,010 का 50 प्रतिशत अतः कुल पेंशन राशि रू. 11,005 देय होगी ।

उपर्युक्त देय पेंशन पर वर्तमान निर्धारित दर से महंगाई राहत देय होगी ।

14.8.2 ग्रेच्युटी– मूल वेतन 10,000 + 4,200 = 14,200 (क)

रनिंग भत्ता = (55 प्रतिशत) = 7,810 रूपये (ख)

महंगाई भत्ता = (14,200 + 30 प्रतिशत) का 27 प्रतिशत = 4984 (ग)

कुल परिलब्धि (क+ख+ग) 14,200+7,810+4,984 = 26,994.00

देय ग्रेच्युटी राशि = 26,994 x 16.5 = 4,45,401

14.8.3 अवकश नकदीकरण–

अवकाश नगदीकरण यदि खाते में अवकाश 300 दिन देय हो तोः–

वेतन– $\frac{14,200 \text{ x } 300 \text{ दिन}}{30}$ = 1,42,000 (क)

महंगाई 27 प्रतिशत = $\frac{(14,200 \text{ का } 27 \text{ प्रतिशत}) \text{ x } 300}{30}$ = 38,340 (ख)

रनिंग भत्ता 30 प्रतिशत = $\frac{(14,200 \text{ का } 30 \text{ प्रतिशत}) \text{ x } 300}{30}$ = 42,600 (ग)

कुल देय अवकाश नगदीकरण = (क+ख+ग) 2,22,940 रूपये देय होगा ।

14.8.4 अन्य भुगतान सामान्य कर्मचारियों की सेवा निवृति की तरह ही किया जाता है ।

15. पर्यवेक्षकों एवं विभागों के लिए आवश्यक निर्देश

(अ) आसन्न पर्यवेक्षक अपने अधीन सेवानिवृत कर्मचारी के पक्ष में 'कुछ भी बकाया नहीं' संबंधी सूचना मंडल कार्यालय के समापक भुगतान अनुभाग में सेवानिवृति माह की 02 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि समापक भुगतान का समुचित निष्पादन किया जा सके ।

(ब) विद्युत विभागः– विद्युत खपत का बिल, आवास में लगे बिजली के उपकरण इत्यादि की प्राप्ति एवं कर्मचारी को इससे मुक्त करने संबंधी अदेयता प्रमाण पत्र, संबंधित सेक्शन इंजीनियर/कार्य को समय से हस्तगत करायगें ताकि संबंधित विभाग द्वारा उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सके ।

(स) इंजी. विभागः– संबंधित सेक्शन इंजीनियर/कार्य प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सेवानिवृत होनेवाले कर्मचारियों के पक्ष में आवश्यक कार्यवाही (जो इस परिधि में आते हों) सुनिश्चित करें।

16. सेवा निवृत कर्मचारियों/मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए विशेष सूचनायें

16.1 पेंशन अदालत का आयोजन–

मंडल में प्रत्येक वर्ष 15 दिसम्बर को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाता है । इसमें सेवा निवृत कर्मचारी/मृत कर्मचारी के आश्रित अपने समापक भुगतान संबंधी लम्बित राशि के भुगतान हेतु अक्टूबर माह की 31 तारीख तक अपना प्रतिवदेन दो प्रतियों में (साक्ष्य सहित यदि हो तो संलग्न करते हुए) मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/समस्तीपुर को प्रेषित कर सकते हैं,

जिसका निष्पादन 15 दिसम्बर तक नियमों के आलोक में किया जाता है । पेंशन अदालत के आयोजन संबंधी सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है ।

16.2 सेवा निवृत कर्मचारियों की सुविधा हेतु मंडल के महत्वूपर्ण निम्न स्टेशनों पर एक परिवाद पंजिका का रखा जाना सुनिश्चित किया गया है जहां वे चाहे तो स्टेशन अधीक्षक से उक्त पंजी की मांग कर अपना परिवाद अंकित कर सकते हैं। ये नामित स्टेशन हैंः– समस्तीपुर,, नरकटियागंज, बापूधाम मोतीहारी, दरभंगा, सहरसा

16.3 समापक दपर्ण (Settlement Mirror)

मंडल से प्रत्येक माह सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों से संबंधित बकाये राशि जो किन्हीं कारणों से उन्हें तत्समय प्रदान नहीं किया जा पाते, ऐसे सभी बकाये का मद्वार संकलन सूची समापक भुगतान अनुभाग में समापक दपर्ण के रूप में उपलब्ध है, जिससे बकाये मामलों के यथाशीघ्र भुगतान करायें जाने की प्रक्रिया चलती रहती है तथा भुगतान सुनिश्चित किया जाता है । समापक दपर्ण पूर्व मध्य रेलवे के वेबसाईट **www.ecr.railnet.gov.in** पर **Samastipur** मंडल के लिंक पर **Personnel** विभाग पर क्लिक कर देखा जा सकता है ।

16.4 ग्रेच्युटी, पी.एफ. एवं बीमा राशि के भुगतान के लिए कर्मचारी द्वारा उनके परिवार के सदस्यों का नामन (Filling of Nomination Form for Payment of Gratuity, PF and GIS by the Employee)

रेलवे बोर्ड के नियमानुसार सभी कार्यरत कर्मचारी जिन्होंने अपनी नियुक्ति के समय परिवार के सदस्यों का नॉमिनेशन फार्म नहीं भरा है अथवा जो अपने नॉमनी का नाम बदलना चाहते हैं, वे कर्मचारी रेलवे बोर्ड द्वारा जारी फार्मेट में परिवार के सदस्य/सदस्यों को नामित कर कार्मिक शाखा के कैडर अनुभाग को जमा कराना सुनिश्चित करें ताकि समय पर सदस्यों को दावे का भुगतान कराया जा सके । इस संबंध में अधिक जानाकरी के लिए संबंधित कार्मिक निरीक्षाक से संपर्क करें जिनकी सी.यू.जी. मोबाइल नं. पैरा 19 में दिये गए हैं ।

16.5 वैसे सामान्य परिस्थिति में कोई भी प्रतिवेदन मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर को भेज सकते हैं ।

16.6 आरबीई 40/2012 के निर्देशानुसार 01.01.06 से पूर्व जिनका वार्षिक वेतनवृद्धि तिथि फरवरी से जून तक है उन्हें एक वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देकर वेतन निर्धारण किया जाना है । कर्मचारी/मृत रेलकर्मी के आश्रित यह सुनिश्चित हो लें कि इसका लाभ उन्हें मिल रहा है कि नहीं ?

17. सेवा निवृति के योजनाएं

जब हम सभी को पूर्व से पता है कि कब सेवानिवृत होंगे तो पूर्व से ही सेवानिवृति की योजना बना लेना हमारे और हमारे परिवार के हित में है । पहले से यह तय करना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद हम किस तरह से अपना समय बितायेंगें । यह फैसला करने में हमको समझना होगा कि अपने बच्चों की शिक्षा, उनके विवाह, परिवार में किसी की बीमारी, पिछला कोई कर्ज, अपनी सेहत, अपनी कोई सामाजिक जिम्मेदारी आदि के बारे में हमारा दायित्व क्या है । फिर हमको यह अनुमान लगाना होगा कि सेवानिवृति पर हमे कुल कितने रूपये मिलेंगे

और लेन–देन के बाद कितने रूपये बचेंगे । रिटायरमेन्ट के बाद पेंशन और अपने हाथ में बचे रूपयों के अलावा हमारे पास आमदनी के और कोई साधन होंगे कि नहीं, यह स्पष्ट होना चाहिए, तभी विचार कर पायेंगे कि हम कितने पैसे जमा कर सकते हैं और वर्षों की गाढ़ी कमाई का पैसा कहॉ और कितना सुरक्षित होगा । बेहतर होगा कि हम राष्ट्रीयकृत बैंकों, बीमा कम्पनीयों तथा पोस्टऑफिस जैसे जाने–माने संस्थानों और उनके द्वारा संचालित सुरक्षित योजनाओं को चुनें । रिटायरमेंट पर वर्षों की कमाई किस प्रकार सेवानिवृति के दिन एक मुश्त प्राप्त की जाए इसके लिए हमको स्वयं भी सार्थक पहन करनी होगी, जिसके बारे में कुछ आवश्यक सुझाव/निर्देशों का उल्लेख मार्गदर्शिका के अन्य पैरा में किया गया है ।

नोटः– कार्मिक निरीक्षक कृपया नोट कर लें कि किसी कर्मचारी के समापक भुगतान में यदि किसी विलम्ब की आशंका हो तो समय रहते वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी, समस्तीपुर के संज्ञान में लायें ।

18. समस्तीपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर संबंधित कार्मिक निरीक्षकों द्वारा स्टेशन के कर्मचारियों से मिलने की तिथि :–

खण्ड/अनुभाग	स्टेशन	तिथि हर माह
सकरी(छोड़कर) निर्मली–लौकहा बाजार	मनीगाछी	14
	लोहना रोड	15
	झंझारपुर	16
	महरैल	18
	वाचस्पति नगर	20
	खुटौना	21
	लौकहा बाजार	24
	तमुरिया	26
	घोघरडीहा	27
	निर्मली	28
	बिरौल	30
सहरसा कचहरी–फारबिसगंज	पंचगछिया	05
	गडबरूआरी	05
	सुपौल	06
	थरबिटिया	07
	सरायगढ	07
	राघोपुर	09
	प्रतापगंज	10
	ललितग्राम	10
	नरपतगंज	11
	फारबिसगंज	11
बैजनाथपुर–पूर्णिया कोर्ट	बैजनाथपुर	19
	दौरम मधेपुरा	19
	बुधमा	19
	मुरलीगंज	20
	जानकी नगर	20
	बनमंखी	21
	सरसी	22

	कृत्यानंद नगर	22
	पूर्णिया कोर्ट	23
	बिहारीगंज	24
मुहम्मदपुर–रक्सौल	मुहम्मदपुर	05
	कमतौल	06
	जोगियारा	06
	जनकपुर रोड	09
	बाजपट्टी	08
	परसौनी	08
	सीतामढी	16
	रीगा	15
	ढेंग	15
	बैरगनिया	14
	कुंडवा चैनपुर	21
	घोड़ासहन	21
	छौड़ादानो	20
	टादापुर	20
	रक्सौल	18 / 19
सीतामढी–रून्नीसैदपुर	डुमरा	11
	गाढा	11
	रून्नीसैदपुर	12
नरकटियागंज–बाल्मिकीनगर	नरकटियागंज	18, 19, 20
	हरिनगर	23
	भैरोगंज	23
	खरपोखरा	23
	बगहा	24
	बाल्मिकीनगर	25
नरकटियागंज–भिखनाठोरी	अमोलवा	28
	गौनाहा	28
	भिखनाठोरी	29
नरकटियागंज–रक्सौल	गोखुला	05
	मरजदवा	06
	सिकटा	10
	भेलवा	11
समस्तीपुर–जयनगर	समस्तीपुर	04
	किशनपुर	05
	रामभद्रपुर	07
	हायाघाट	08
	थलवारा	11
	लहेरियासराय	12
	दरभंगा	13
	ककरघट्टी	16
	तारसराय	17
	सकरी	20
	पंडौल	21
	मधुबनी	23

	राजनगर	24
	खजौली	26
	जयनगर	27
मुजफ्फरपुर–साठी	मुजफ्फरपुर	03
	कपरपुरा	04
	कांटी	05
	मोतीपुर	08
	महवल	09
	मेहसी	12
	चकिया	13
	पिपरा	15
	जीवधारा	16
	मोतीहारी	19
	सेमरा	20
	सुगौली	22
	मझोलिया	23
	बेतिया	26
	कुमारबाग	27
	चनपटिया	29
	साठी	30
भगवापुर देसुआ–सहरसा	भगवानपुर देसुआ	05
	अंगारघाट	06
	सिंधिया घाट	09
	रूसेराघाट	10
	नया नगर	12
	हसनपुर रोड	15
	गढपुरा	16
	सलौना	18
	इमली	19
	ओलापुर	22
	बदलाघाट	23
	धमाराघाट	25
	कोपरिया	26
	सिमरी बख्तियारपुर	28
	सोनबरसा कचहरी	29
	सहरसा	31, 1, 2

19. अतिरिक्त जानकारी हेतु निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सम्पर्क किया जा सकता है:–

पद	मो. दूरभाष सं.	रेलवे दूरभाष सं.
मंडल रेल प्रबंधक	–	32000
अपर मंडल रेल प्रबंधक	9771428001	32002
वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी	9771428600	32100
मंडल कार्मिक अधिकारी–।	9771428602	32104

मंडल कार्मिक अधिकारी–।।	9771462023	32106
हित निरीक्षक / मुज0–रक्सौल	9771428606	
हित निरीक्षक / नरक0–बाल्मिकीनगर	9771462698	
हित निरीक्षक / मुज0–साठी	9771462696	
हित निरीक्षक / सम0–जयनगर	9771462695	
हित निरीक्षक / सहरसा–फारबिसगंज	9771462696	
हित निरीक्षक / सहरसा–पूर्णिया **कोर्ट**	9771462696	
हित निरीक्षक / सकरी–निर्मली–लौकहा बाजार	9771462699	
हित निरीक्षक / डीजल शेड,निर्माण,संकेत, विद्युत, चिकित्सा	9771462694	

''कार्मिक विभाग, समस्तीपुर मण्डल सभी रेल कर्मियों के लिए स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना करता है।''